संचालनालय
महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, ब्लाक–1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 0771–2234192, 2234188 (fax) email:dirwcd.cg@nic.in

//आदेश//

क्रमांक/एफ–639/9172/मबावि/स्था.–02/2023–24 नवा रायपुर, दिनांक 27/12/2023

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों के रिक्त पदो की पूर्ति के लिए **परिसीमित सीधी भर्ती** अंतर्गत आयोजित चयन परीक्षा वर्ष 2023 के प्रावीण्य सूची के अभिलेख सत्यापन में उपयुक्त पाये गये तथा चयन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर अधोलिखित अभ्यर्थियो **(दिव्यांगजन)** को तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा में पर्यवेक्षक के पद पर वेतनमान रूपये 5200–20200+2400 ग्रेड वेतन (वेतन मैट्रिक्स लेवल 6) में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :–

क्र	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	वर्ग	समग्र रैंक	वर्गवार रैंक	परियोजना का नाम	जिला
1	धनेश्वरी कश्यप	होरीलाल कश्यप	म.नं–192, गली बीचपारा, ग्रा+पो–बीरगांव, व्हाया–तखतपुर, थाना–जरहागांव, तह +जिला–मुंगेली (छ.ग.) 495330	OBC (NCL) दिव्यांग (ग)	161	04	तरेगांव जंगल	कबीरधाम
2	ममता कुमारी पटेल	सिया राम पटेल	म.नं–426, वार्ड नं–11, कंकाली मोहल्ला, ग्रा–पंडरिया (दल्हा), था–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) 495552	OBC (NCL) दिव्यांग (ग)	258	05	पामगढ़	जांजगीर
3	श्रीमती सरस्वती कनेरी	सुनील कुमार	म.नं–102, कदम मुहल्ला, ग्राम–खैरा (लगरा), पो–पंधी, था–सीपत, तह+जिला–बिलासपुर (छ.ग.) 495555	अ.जा. दिव्यांग (ग)	264	06	पोडीउपरोड़ा	कोरबा
4	शशिकला राजपूत	रामकुमार राजपूत	सडकपारा, ग्राम–शरधा, पो–शरधा, जिला–मुंगेली (छ.ग.) 495115	अना. दिव्यांग (क)	368	08	कुकदूर	कबीरधाम
5	अंजनी वस्त्रकार	विकास महरा	वार्ड नं–07, शंकर मोहल्ला, ग्रा–पाराघाट, था–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) 495550	अना. दिव्यांग (ग)	409	11	बिलासपुर शहरी	बिलासपुर
6	साधमति चौहान	जहरूलाल चौहान	म.नं–123, वार्ड नं–09, ग्राम+पो–पुसल्दा, थाना–पुसौर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) 496100	अ.जा. दिव्यांग (ग)	422	12	लैलूंगा	रायगढ़

क्र	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पता	वर्ग	समग्र रैंक	वर्गवार रैंक	परियोजना का नाम	जिला
7	नाजिया हसन	नब्बू खान	म.नं.–118, वार्ड नं.–08, मुसलमान पारा, ग्रा–कुण्डेल, थाना–फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद (छ.ग.) 493992	OBC (NCL) दिव्यांग (क)	1281	28	मैनपुर	गरियाबंद
8	जानकी खंडेल	बोधी राम	म.नं.–46 / घ, वार्ड नं.–14, ग्रा–गोपी महका, था–खरसिया, पो–घरघोडा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) 496661	अ.जा. दिव्यांग (क)	1761	40	रायगढ़ ग्रामीण	रायगढ़
9	श्रीमती ईश्वरी राजपूत	रमेश कुमार राजपूत	म.नं.–80, वार्ड नं.–01, राजपूत पारा, ग्रा–डाकाचाका, पो–पथरिया, जिला–मुंगेली (छ.ग.) 495335	OBC (NCL) दिव्यांग (ख)	2345	50	कोण्डागांव–03	कोण्डागांव
10	श्रीमती रमशीला देवांगन	कण्ठीराम देवांगन	म.नं.–142, गली–स्कूलपारा, ग्रा–बफना, पो–बफना, था+ जिला–कोण्डागांव (छ.ग.) 49494226	OBC (NCL) दिव्यांग (क)	3153	68	बकावण्ड	बस्तर
11	नंद कुमारी साहू	उधव राम साहू	म.नं.–107, वार्ड नं.–13, चौकीदार पारा, ग्रा–सिलादेई, पो–चांटीपाली, तह–सारंगढ़, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) 496445	OBC (NCL) दिव्यांग (ख)	5014	111	भटगांव	सारंगढ़–बिलाईगढ़

पर्यवेक्षको की नियुक्ति निम्नांकित शर्तो के अधीन होगीः–

1. नियुक्त पर्यवेक्षको को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।
2. इनकी नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जा रही है। परिवीक्षा अवधि के दौरान निर्धारित प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
3. अस्थायी नियुक्ति के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 के अनुसार संबंधित पर्यवेक्षक की सेवाएँ किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके ऐवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी। नोटिस देने के पहले या बाद में वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेगे तो यह समझा जावेगा कि उन्होने अनुपस्थिति के दिनांक से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उन्हे एक माह की अवधि में से जितनी अवधि कम हो, उस अवधि के वेतन–भत्ते का भुगतान करना होगा। संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन–भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय

सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित पर्यवेक्षक से भू–राजस्व की बकाया के भांति वसूली योग्य होगी।

4. इन अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 इत्यादि शासकीय नियमों/निर्देशों के अधीन होंगी।
5. नियुक्त पर्यवेक्षकों को कार्यभार ग्रहण करते समय या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के एक माह के भीतर जिला चिकित्सा बोर्ड का शासकीय सेवा में योग्य होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
6. इनकी नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चरित्र के संबंध में दिये गये वचन पत्र के आधार पर अनंतिम रूप से प्रदान की जा रही है। कार्यभार ग्रहण करते समय निर्धारित प्रपत्र में चरित्र सत्यापन संबंधी जानकारी दी जानी होगी। पुलिस सत्यापन में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होने पर जो संबंधित अभ्यर्थी को शासकीय सेवा के लिये अनर्ह/अनुपयुक्त सिद्ध करती हो तो बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
7. नियुक्त पर्यवेक्षक के द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी योग्यता/अहर्ता संबंधी दस्तावेजों (मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हेतु हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, बाल विकास विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सतत् सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद का प्रथम नियुक्ति आदेश, विकलांगता प्रमाण पत्र, निःशक्तजन हेतु कार्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र इत्यादि) की एक अभिप्रमाणित छाया प्रति मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. चयनित अभ्यर्थियो में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उन्हे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
9. नियुक्त पर्यवेक्षकों को कार्यभार ग्रहण करते समय सेवा पुस्तिका (2 प्रतियों में) के साथ उपस्थित होना होगा, ताकि सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की पूर्ति कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित कार्यालय द्वारा की जा सके।
10. उक्त नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
11. नियुक्त पर्यवेक्षक यदि किसी भी शासकीय/अर्द्ध–शासकीय/शिक्षाकर्मी इत्यादि की सेवा में कार्यरत् हो, तो उन्हे संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी त्याग पत्र स्वीकृति संबंधी आदेश पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से चयनित पर्यवेक्षक को आंगनबाड़ी केन्द्र का समस्त प्रभार निर्देशानुसार सौंपते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद से त्याग पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. चयनित पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में दी गई जानकारी यदि असत्य पाई जाती है, इस स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए, उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है ।

(दिव्या उमेश मिश्रा) 27/12/23
संचालक
महिला एवं बाल विकास
छ.ग. रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)

पृ.क्र./ एफ–639/3173 /मबावि/स्था.–02/मबावि/2023–24 नवा रायपुर, दिनांक 27/12/2023

प्रतिलिपि :–

1. **विशेष सहायक**, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. **संभागीय आयुक्त,** .... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
4. **महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर** की ओर सूचनार्थ।
5. **नियंत्रक,** छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. **सर्व कलेक्टर,** जिला–............................ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
7. **संयुक्त संचालक (आई.टी.)**, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ। कृपया उक्त नियुक्ति आदेश विभाग की वेबसाईट www.cgwcd.gov.in में अपलोड करना सुनिश्चित करे।
8. **जिला कोषालय अधिकारी/उप कोषालय** ...., जिला–....................................(छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
9. **जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी**, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–.. को सूचनार्थ।
10. **बाल विकास परियोजना अधिकारी,** एकीकृत बाल विकास परियोजना–.., जिला–.................................. (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों के परीक्षण में कोई विपरीत तथ्य पाये जाते है, तो ऐसे पर्यवेक्षक को कार्यभार ग्रहण न कराकर संचालनालय को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
11. **सर्व संबंधित सुश्री/श्रीमती** ....**पति/पिता** .... **जिला** .... (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. कार्यालयीन नस्ती।

संचालक
महिला एवं बाल विकास
छ.ग. रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.)